

उत्तर प्रदेश शासन,
ग्राम्य विकास अनुभाग-5
संख्या:-1739/अड्तीस-5-2011-07 स्वजल/2011
लखनऊ: दिनांक 18 अक्टूबर, 2011

2183
01/11/11

कार्यालय ज्ञाप

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के दिशा-निर्देशानुसार ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन हेतु राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति (एस0एल0एस0एस0सी0) का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

1	Principal Secretary, Rural Development, GOUP	Chairperson
2	Executive Director, State Water Sanitation Mission	Member Secy.
3	Representative of Department of Drinking Water Supply, GOI	Member
4	Representative of CGWB, State Representative	Member
5	Representative of State and Central Water Commission / Board	Member
6	Representative of State Technical Agency (STA)	Member
7	Technical Expert from reputed State and / or National related institutions.	Member
8	Managing Director Uttar Pradesh Jal Nigam.	Member
9	Director, Water and Sanitation Support Organization	Member
10	Representative from Unicef	Member
11	Representative from State Ground Water Board	Member
12	Any other member (need Based) nominated by Chairperson	Member

2- उक्त बैठक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा कराया जायेगा एवं एजेन्डा नोट समस्त सम्बन्धित को 15 दिन पूर्व भेजते हुए एस0एल0एस0एस0सी0 की बैठक में भाग लेने के लिए प्रत्येक सदस्य को आमंत्रित किया जाना अनिवार्य होगा। एस0एल0एस0एस0सी0 के कार्य निम्नवत है:-

- I- वर्ष के प्रारंभ के पूर्व लक्षित बस्तियों पर एक वार्षिक कार्य योजना बनानी होगी। ऐसा करने में एन0आर0डी0डब्लू0पी0 के दिशा निर्देशों के अनुरूप बस्तियों तथा वर्ष में ली जाने वाली परियोजनाओं एवं अन्य गतिविधियों का प्राथमिकीकरण किया जाना अपेक्षित होगा।
- II- वार्षिक कार्य योजना, जिसे वर्ष के प्रारंभ होने के पूर्व या प्रारंभ में पेयजल आपूर्ति विभाग, भारत सरकार के साथ चर्चा के बाद अंतिम रूप दिया जाता है, के आधार पर राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति के अनुमोदन के लिए लक्षित बस्तियों तथा परियोजनाओं को निश्चित रूप से बना लिया जाना चाहिए एवं आई.एम.आई.एस. में चिन्हित किया जायेगा।

III- सी0सी0डी0यू0 (संचार एवं क्षमता संवर्धन यूनिट) जलगुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी, प्रबन्ध सूचना प्रणाली, अनुसंधान एवं विकास, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन आदि सहयोगात्मक कार्यों की वार्षिक योजनाओं को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता

UC(T)
E
31/10/11

FA/UC.1 D
UC(T) / D.12
W 550 /
Enan. Condu...

